दिनांक **30.04.2026** को आहूत चयन समिति, जनपद न्यायालय, एटा की बैठक का कार्यवृत्त

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक 351/infra-cell Allahabad dated 18.03.2026 के अनुपालन में आज दिनांक 30.04.2026 को जनपद न्यायालय, एटा परिसर तथा परिसर स्थित सार्वजनिक शौचालयों की साफ-सफाई एवं देख-रेख हेतु आउटसोर्सिंग के द्वारा सफाई कर्मी उपलब्ध कराने के लिए सेवा प्रदाता संस्था जेम पोर्टल के माध्यम से चयनित किये जाने के संबंध में चयन समिति की एक बैठक आहूत की गयी। बैठक में अध्यक्ष चयन समिति/ जनपद न्यायाधीश एटा, एवं सदस्यगण श्रीमती मनीषा, अपर जिला जज, कक्ष सं० 1, एटा, श्री अशोक कुमार-XIII, विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी० एक्ट), एटा एवं श्रीमती सुमिता, सिविल जज (सी०डि०), एटा उपस्थित रहे।

बैठक में विचार-विमर्श किया गया कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पत्रांक 351/infra-cell Allahabad dated 18.03.2026 के माध्यम से जनपद न्यायालय, एटा परिसर तथा परिसर स्थित सार्वजनिक शौचालयों की साफ-सफाई एवं देख-रेख हेतु आउटसोर्सिंग के द्वारा **04** सफाई कर्मी सेवा प्रदाता संस्था जेम पोर्टल के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक 1190/infra-cell Allahabad dated 19.08.2023 एवं 1079/InfraCell Allahabad Dated 12.09.2019 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है। इसके अतिरिक्त यह भी निर्देशित किया गया है कि अनुबंध विलेख निष्पादित होने के पश्चात, जनशक्ति (संचालन एवं सफाई के लिए) की सेवाओं का लाभ उठाने के लिए प्रभारित की जाने वाली धनराशि को माननीय उच्च न्यायालय को इकाई शीर्षक 58-(आउटसोर्सिंग) के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाए।

उपर्युक्त के अनुपालन में जनपद न्यायालय एटा परिसर की साफ-सफाई एवं परिसर स्थित सार्वजनिक शौचालयों के रख-रखाव हेतु चार सफाईकर्मी जेम पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में विचार विमर्श किया गया। आउटसोर्सिंग हेतु माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के उपरोक्त पत्र में वर्णित शासनादेश संख्या G.0. No. 25/VII-Nyay-9 (Budget)-2019-800 (20)/2016 **dated 07.03.2019**, G.O. No.31/2020/273/18-02-2020-97 **Dated 25.08.2020** for MSME Department

एवं शासनादेश संख्या 08/2019/20/01/91-का-02/2019, दिनांकित **18.12.2019** के आलोक में सेवा प्रदाता का चयन किया जाना है। प्रदेश के शासकीय विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं में वस्तु सेवाओं /आउटसोर्सिंग मैनपावर के क्रय के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेण्ट-ई- मार्केट प्लेस, जेम (GeM) की व्यवस्था लागू किये जाने हेतु समेकित दिशा निर्देश के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या **57/18-2-2024-97 (ल०उ०)/2016** दिनांकित **26** नवम्बर **2024** निर्गत किया गया है। जनपद न्यायालय एटा के न्यायालय परिसर की साफ-सफाई एवं न्यायालय परिसर स्थित सार्वजनिक शौचालयों की देख-रेख हेतु 04 सफाई कर्मी आउटसोर्सिंग के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने हेतु जेम पोर्टल से सेवा प्रदाता चयनित किये जाने के लिए नियम एवं शर्तें निम्न प्रकार से होंगी-

1. शासनादेश संख्या 08/2019/2020/01/91-का-02/2019 दिनांक 18.12.2019 के प्रस्तर 03 के अनुसार सेवा प्रदाता द्वारा संभावित कार्मिक से किसी भी प्रकार की धनराशि लेना पूर्णतः वर्जित है। सेवा में रखे जाने के बाद समय से एवं पूर्ण भुगतान न करने के सम्बन्ध में जनपद न्यायाधीश, एटा को सेवा प्रदाता के विरुद्ध कोई भी शिकायत प्राप्त होने पर डीलिस्टिंग की कार्यवाही करने का अधिकार होगा। उक्त कार्यवाही से जेम भारत सरकार को अवगत करायेगा।

2. उक्त शासनादेश के प्रस्तर 03 (2) के अनुसार किसी भी प्रकार के अनियमितता को रोकने के लिए सेवा प्रदाता द्वारा अभ्यर्थियों का चयन अनिवार्य रुप से सेवायोजन पोर्टल Sevayojan.up.nic.in के माध्यम से वरिष्ठता के आधार पर किया जायेगा। सेवायोजन विभाग अपने पोर्टल पर यह सुनिश्चित करेगा कि एक ही व्यक्ति मल्टीपल पंजीकरण न करा सके।

3. उक्त शासनादेश के प्रस्तर 3 (3) के अनुसार आउटसोर्सिंग के माध्यम से सेवायोजित होने के उपरान्त किसी कर्मी को सेवा प्रदाता स्वयमेव बदल नहीं सकता। अनुशासनहीनता तथा दण्डनीय अपराध आदि की स्थिति में जनपद न्यायाधीश, एटा की सहमति के पश्चात ही चयनित / कार्यरत कर्मचारियों को सेवा प्रदाता द्वारा हटाया जा सकेगा।

4. उक्त शासनादेश के प्रस्तर 4 (1) के अनुसार कर्मियों को विलम्ब से भुगतान को रोकने के लिए जनपद न्यायाधीश, एटा द्वारा आउटसोर्सिंग एजेन्सी को उपलब्ध करायी गयी धनराशि पर 18 प्रतिशत ब्याज व पेनाल्टी लगायी जायेगी।

5. उक्त शासनादेश के प्रस्तर 4 (3) के अनुसार अभ्यर्थियों की तैनाती के लिए सेवायोजन विभाग द्वारा तैयार किये गये पोर्टल से कैन्डिडेट्स को वरिष्ठता क्रम में चयन

किये जाने हेतु सेवा प्रदाता से जनपद न्यायालय एटा में कर्मियों की माँग के अनुसार यथा एक कर्मी के लिए पोर्टल से **05** आवेदनकर्ताओं तथा दो या दो से अधिक कर्मी की मांग पर तीन गुना परन्तु न्यूनतम दस आवेदन कर्ताओं में से चयन किया जायेगा। सेवा प्रदाता द्वारा एक पारदर्शी व्यवस्था बना कर उनकी क्षमता, योग्यता पर मूल्यांकन करते हुए चयन किया जायेगा जिसमें चयन समिति, जनपद न्यायालय एटा की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी (उपरोक्त व्यवस्था के लिए जेम भारत सरकार ने उक्त विशिष्ट शर्ते Additional Terms And Conditions (A.T.C.) A Human resource and payment clause) के अन्तर्गत सम्मिलित कर ली गयी है। उपरोक्त विशिष्ट शर्तें इस अनुबन्ध का अनिवार्य रुप से भाग रहेगी।

6. जेम पोर्टल पर पंजीकृत **Buyer** अपनी **Buyer ID** से जेम पर login कर के सर्विस सेक्शन में जाकर "मैन पावर रिसोर्स आउट सोर्सिंग सर्विसेस" का चयन करेगा।

7. तत्पश्चात् जेम बायर सम्बन्धित सेवा के Service Level Agreement (SLA) की शर्तों के अनुसार निर्धारित फिल्टर का उपयोग करते हुए तुलनात्मक आधार पर L-1 से क्रय जेम पोर्टल पर अनिवार्य रुप से करेगा।

सेवा प्रदाता हेतु अर्हताएं-

(i). सेवा प्रदाता से बैंक गारण्टी के रुप में निविदा का मूल्य **5** लाख से **1** करोड़ रु० तक होने पर **EMD/FDR** के रुप में **0.5** प्रतिशत से **5** प्रतिशत तक लिये जाने की व्यवस्था की गयी है। निविदा में सफल सेवा प्रदाता को निविदा मूल्य का **5** प्रतिशत **FDR** के रुप में जनपद न्यायालय, एटा के नजारत अनुभाग में बंधक के रूप में उपलब्ध करानी होगी।

(ii). गुणवत्तापूर्ण सेवा के लिए सफाई कर्मियों का कितना मानदेय देय होगा इसका निर्णय विभिन्न सुसंगत वित्तीय नियमों के अनुरुप एवं श्रम विभाग के न्यूनतम Wages के अनुसार किया जाना है जो कि वर्तमान में सफाई कर्मियों को प्राप्त हो रहे मानदेय से कम अनुमन्य नहीं होगा। श्रम संविदा नियमावली साप्ताहिक,राजकीय, मातृत्व आदि अवकाश एवं कार्य के घण्टें जैसे नियमों का अनुपालन कराने की जिम्मेदारी जैसे नियमों का अनुपालन सेवा प्रदाता द्वारा प्रत्येक स्थिति में किया जायेगा।

(iii). जनपद न्यायालय, एटा में परिसर की साफ-सफाई एवं देख-रेख के लिए 04 सफाई कर्मी की आवश्यकता है। श्रम अनुभाग-02, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना/आदेश संख्या 374/36-2-2026-2041256 लखनऊ दिनांकितः 17.04.2026 के अनुसार दिनांक

01.04.2026 से प्रभावी विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को न्यूनतम देय प्रतिमाह मूल मजदूरी, परिवर्तनीय महँगाई भत्ता की मासिक एवं दैनिक मजदूरी की दरें निम्नवत है जो कि 1/26 से कम तथा प्रति घण्टे दर दैनिक दर का 1/6 से कम न होगी:-

उत्तर प्रदेश में प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी के जनपदों से भिन्न जनपदों हेतु न्यूनतम मजदूरी दरें-

(श्रेणी-तृतीय)

श्रेणी	दिनांक **01.04.2026** से प्रभावी मूल मजदूरी (रु० में)	परिवर्तनीय महँगाई भत्ता (रु० में)	कुल योग (रु० में)	दैनिक मजदूरी (रु० में) **(1/26)**
अकुशल	11629	727	12356	475.23
अर्द्धकुशल	12791	799	13590	522.69
कुशल	14328	896	15224	585.53

(v). सेवा प्रदाता के साथ किये जाने वाला अनुबन्ध वित्तीय वर्ष 2026-27 में 15.06.2026 से माह 31.03.2027 तक के लिए होगा तथा भविष्य में सेवाओं से सन्तुष्ट होने पर अनुबन्ध बढ़ाया जा सकता है।

(vi). सेवा प्रदाता का टर्न ओवर निविदा की लागत का न्यून्तम **30** प्रतिशत या उससे अधिक होना चाहिए।

(vii). सेवा प्रदाता के पास विगत **3** वर्षों का Gov/PSU/Gov.Ltd कंपनी में समान श्रेणी के कर्मियों की आपूर्ति के कार्य का अनुभव तथा उस प्रकार के कार्य को करने का अनुमानित कार्य लागत का **80** प्रतिशत का एक कार्यादेश अथवा 50 प्रतिशत के दो अथवा 40 प्रतिशत के तीन कार्यादेश होना अनिवार्य है।

(viii). सेवा में किसी प्रकार का अवरोध मान्य नहीं होगा। किसी सफाई कर्मी की अनुपस्थिति की दशा में सेवा प्रदाता को उस सफाई कर्मी का प्रतिस्थानी 24 घण्टे के अन्दर उपलब्ध कराना होगा।

(ix). सेवाएं सन्तोषजनक न पाये जाने पर अथवा आवश्यकता न होने पर सेवा प्रदाता की सेवायें बिना सूचित किये समाप्त कर दी जायेंगी, जिसके लिए कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।

(x). उक्त दरें, कुल दरें प्रतिमाह के अनुसार है। इसके अलावा किसी प्रकार का कोई अन्य भुगतान नही किया जायेगा।

(xi). सामान्य कार्य का समय प्रातः **9.00** बजे से सायं **5.00** बजे तक होगा किन्तु आवश्यकतानुसार कार्य के समय में परिवर्तन किया जा सकता है।

(xii). जनपद न्यायाधीश, एटा के अनुबन्ध से संतुष्ट न होने पर उचित कार्यवाही हेतु जेम बायर जनपद न्यायालय, एटा जेम पोर्टल के बायर लॉगइन में उपलब्ध Incident Management में जाकर अनुबन्ध के विरुद्ध कार्यवाही हेतु अनुरोध करेंगे। जेम पोर्टल पर सेवा प्रदाता पर **Incident Management Policy** के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(xiii). जेम पोर्टल पर भुगतान के लिए ऑन लाइन व्यवस्था (जेम पूल एकाउंट) प्राइमरी यूजर के लॉग इन पर उपलब्ध है। केन्द्रीय नाजिर द्वारा जेम पूल एकाउंट के माध्यम से भुगतान की प्रक्रिया एक माह में सुनिश्चित की जायेगी।

(xiv). शासनादेश संख्या 57/18-2-2024-97 (ल०उ०)/2016 दिनांकित 26 नवम्बर 2024 में विहित व्यवस्थानुसार बिन्दु संख्या 6 (ii) के अनुसार तुलनात्मक आधार पर एल -1 से क्रय (L 1 Purchase by comparison) - रु० 50000 से अधिक और रु० 1000000/- तक का क्रय जेम पर उपलब्ध ऐसे आपूर्तिकर्ता से किया जा सकेगा जो उपलब्ध आपूर्तिकर्तओं में से सबसे कम मूल्य की सामग्री ऑफर कर रहा हो, परन्तु शर्त यह है कि कम से कम तीन ऐसे विक्रेताओं अथवा निर्माताओं के मूल्य की तुलना की जायेगी जो आवश्यक गुणवत्ता, विशिष्ट्रियाँ एवं आपूर्ति अवधि को संतुष्ट करते हो। रु० 10,00000/- से कम की वस्तु एवं सेवाओं की खरीद भी जेम पर उपलब्ध ऑनलाईन बिडिंग/रिवर्स ऑक्शन के टूल्स का उपयोग भी क्रेता विभाग द्वारा किया जा सकता है।

(xv). शासनादेश संख्या 57/18-2-2024-97 (ल०उ०)/2016 दिनांकित 26 नवम्बर 2024 में दी गयी व्यवस्थानुसार (बिन्दु संख्या 32) जेम के माध्यम से ही आउटसोर्सिंग कर्मी लेने की अनिवार्यता किये जाने से वर्तमान में कार्य कर रहे कर्मियों की निरन्तरता बाधित नहीं की जायेगी। वर्तमान में कार्य कर रहे आउटसोर्स कर्मियों को ही जेम पोर्टल द्वारा चयनित सेवा प्रदाताओं द्वारा रखा जायेगा। इस हेतु कार्यरत कर्मचारियों की सेवा के सम्बन्ध में संतुष्ट प्रमाण पत्र क्रेता विभाग द्वारा सेवा प्रदाता को उपलब्ध कराया जायेगा। केवल नवीन कर्मयों का चयन सेवायोजन पोर्टल से ही अनिवार्य रुप से किया जायेगा।

उपरोक्त शर्तों के आधार पर चयन समिति इस मत की है कि जनपद न्यायालय एटा के परिसर तथा परिसर स्थित सार्वजनिक शौचालयों की साफ-सफाई एवं देख-रेख हेतु आउटसोर्सिंग के माध्यम से 04 सफाईकर्मी अकुशल श्रेणी के उपलब्ध कराने के लिए सेवा प्रदाता संस्था जेम पोर्टल के माध्यम से तुलनात्मक आधार पर L-1 से जेम पोर्टल पर चयन किया जा सकता है। जेम बायर / केन्द्रीय नाजिर, जनपद न्यायालय, एटा को समिति

निर्देशित करती है कि सेवा प्रदाता चयनित किये जाने हेतु तुलनात्मक आधार पर जेम पोर्टल द्वारा L-1 नियमानुसार क्रय करना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः-

1. Employees' Provident Fund Organization की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया Present Rates of Contribution.

2. Employees' State Insurance Corporation की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया Rate of E.S.I. Contribution.

3. चनपद न्यायालय एटा की website पर upload हो।

दिनांकः **30.04.2026**

(सुमिता)
सदस्य, चयन समिति/
सिविल जज (सी०डि०), एटा।

30.04.26

(अशोक कुमार-XIII)
सदस्य, चयन समिति/
विशेष न्यायाधीश
(एस०सी०/एस०टी० एक्ट), एटा।

30/04/26

(मनीषा)
सदस्य, चयन समिति/
अपर जिला जज, कक्ष सं० 1, एटा।

30.4.26

(दिनेश चन्द)
अध्यक्ष, चयन समिति/
जिला जज, एटा।